जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज

आदेश

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटेया ने अपने पत्रांक 1341 दिनांक 05.10.2017, पत्रांक 1344 दिनांक 03.11.2018 एवं पत्रांक 1451 दिनांक 27.11.2018 द्वारा श्रीमती स्वीटी कुमारी, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–बैकुण्ठपुर, प्रखण्ड–कटेया का संविदा रद्द करने की अनुशंसा करते हुए उनपर निम्नलिखित आरोप गठित किया गया है :–

1. श्रीमती स्वीटी कुमारी द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये अनाधिकृत रुप से दिनांक 02.06.2017 से अवकाश में प्रस्थान किया गया एवं उनके अवकाश का आवेदन पत्र व्हाट्स–अप पर भेजा गया जो उनके मनमाने ढंग से कार्य करने की शैली को प्रदर्शित करता है।
2. श्रीमती स्वीटी कुमारी द्वारा दिनांक 18.08.2017 को एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया जिसमें उन्होनें बीमार रहने के कारण दिनांक 09.06.2017 से 28.07.2017 तक अवकाश में रहने का उल्लेख किया है। उन्होने अपने आवेदन पत्र के साथ एक चिकित्सा प्रमाण–पत्र भी संलग्न किया है जिसमें किसी सरकारी अस्पताल अथवा नर्सिंग होम के पते का जिक्र नहीं है। यह चिकित्सा प्रमाण–पत्र दिनांक 14.08.2017 की तिथि में निर्गत है। उनके अवकाश आवेदन में दिनांक 02.06.2017 से 08.06.2017 तक अवकाश में रहने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ज्ञातब्य हो कि श्रीमती स्वीटी कुमारी ने अवकाश से लौटने के पश्चात किस तिथि को प्रखण्ड कार्यालय, कटेया में योगदान दिया है इसका कोई प्रमाण या साक्ष्य कार्यालय में मौजूद नहीं है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 1265 दिनांक 14.09.2017 के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उनके प्राप्त स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि उन्होनें अवकाश से लौटने के पश्चात पंचायत में कार्यरत रहने की सूचना ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को दी थी। इससे स्वतः स्पष्ट है कि उनके द्वारा अवकाश से लौटने के पश्चात पदाधिकारी के समक्ष अपना योगदान समर्पित नहीं किया गया है। ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक द्वारा उनके योगदान की कोई सूचना प्रखण्ड कार्यालय को प्राप्त नहीं करायी गयी है, जिसके संबंध में आवास पर्यवेक्षक से इस कार्यालय के ज्ञापांक 1266 दिनांक 14.09.2017 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी एवं ज्ञापांक 1305 दिनांक 23.09.2017 के द्वारा उन्हें स्मारित भी किया गया है। आवास पर्यवेक्षक का स्पष्टीकरण अबतक अप्राप्त है, जो उनके कर्तब्यहीनता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्रीमती स्वीटी कुमारी, ग्रामीण आवास सहायक द्वारा अनाधिकृत रुप से अवकाश का उपभोग किया गया है एवं भ्रामक चिकित्सा प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास किया गया है जो निर्धारित संविदा शर्तो के विरुद्ध है।

उल्लेखनीय है इस कार्यालय के ज्ञापांक 837 दिनांक 13.07.2018, ज्ञापांक 976 दिनांक 04.08. 2018, ज्ञापांक 1130 दिनांक 25.08.2018, ज्ञापांक 1234 दिनांक 18.09.2018, ज्ञापांक 1462 दिनांक 09.10. 2018, ज्ञापांक 1753 दिनांक 15.11.2018 एवं ज्ञापांक 1837 दिनांक 03.12.2018 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के संबंध में श्रीमती स्वीटी कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई परन्तु उनसे स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त नहीं हुआ। जिला स्तर पर दिनांक 06.07.2018 (ज्ञापांक 820 दिनांक 11.07.2018), दिनांक 20.08.2018 (ज्ञापांक 1058 दिनांक 23.08.2018), दिनांक 13.09.2018 (ज्ञापांक 1351 03.10.2018), दिनांक 05.10.2018 (ज्ञापांक 1470 दिनांक 10.10.2018), दिनांक 11.10.2018 (ज्ञापांक 1487 दिनांक 15.10.2018) एवं दिनांक 30.10.2018 (ज्ञापांक 1599 दिनांक 05.11.2018 को आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की बैठक में भी श्रीमती स्वीटी कुमारी अनुपस्थित पायी गयी एवं बैठक की कार्यवाही में दिये गये निदेशों का अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया। जिससें यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि श्रीमती कुमारी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत जिला स्तर/प्रखण्ड स्तर से दिये गये निदेशों का निरंतर अवहेलना की गई है, जो उनके कर्तब्यहीनता, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही का द्योतक है।

अतः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटेया द्वारा उपरोक्त वर्णित आरोपो एवं अनुशंसा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज द्वारा की गई कारण पृच्छा का जवाब नहीं देने, जिला स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों में दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं करने, अपने वरीय पदाधिकारी के निदेश का अवहेलना करने तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ किये गये एकरारनामा की कंडिका–10 के प्रावधान **"The Employer only terminate this contracts without giving any notice in the event of 7 or more days of continuous unauthorized absence of the 2nd party."** का उल्लंघन करने के मामले में श्रीमती स्वीटी कुमारी, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–बैकुण्ठपुर, प्रखण्ड–कटेया का अनुबंध अनाधिकृत रुप (दिनांक 02.06.2017) से अनुपस्थित रहने की तिथि से रद्द करते हुए उन्हें चयन मुक्त किया जाता है। यदि वे चाहें तो रद्द आदेश के विरुद्ध अपील विभागीय सचिव/प्रधान सचिव के समक्ष अनुबंध रद्द आदेश पारित किये जाने की तिथि के तीन माह के अन्दर कर सकते हैं।

ह0 –
जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 2001 /अभि0 दिनांक 15.12.18

प्रतिलिपि :– श्रीमती स्वीटी कुमारी, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–बैकुण्ठपुर, प्रखण्ड–कटेया को सूचनार्थ एवं उपरोक्त आदेश अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला–गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटेया को निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र का तामिला संबंधित कर्मी को अपने स्तर से कराते हुए प्रतिवेदन प्रेषित करें तथा उनसे संबंधित प्रभार यथा–मोबाईल, अभिलेख, संचिका पंजी आदि का प्रभार प्राप्त कर सूचना से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया को सूचित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, गोपालगंज को जिला के बेवसाईट पर प्रदर्शनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज/हथुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।